न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर

अपील जीसीएमएस नम्बर 2025/563

1. सलाब कंवर पत्नी स्व. लक्ष्मण सिंह राठौड, जाति राजपूत,
2. पंकज सिंह पुत्र स्व. लक्ष्मण सिंह, जाति राजपूत,
3. नीरज सिंह राठौड पुत्र स्व. लक्ष्मण सिंह राठौड, जाति राजपूत,
4. जलज कंवर पुत्री लक्ष्मण सिंह पत्नी अरूण प्रताप,

समसत निवासीयान–वार्ड नंबर–4, मेडतिया हाउस, बगड, जिला झुन्झुनू (राज0) हाल निवासियान–13–ए, तिरूपति विहार, कालवाड रोड, गोविन्दपुरा, जयपुर (राज0)

– अपीलान्ट्स

बनाम

1. सायर कंवर पुत्री पीरू सिंह पत्नी रघुवीर सिंह, जाति–राजपूत, निवासी–सुलताना, तहसील चिडावा, जिला झुन्झुनू (राज.)/हाल निवासी केयर ऑफ महावीर सिंह राठौड, नरेन्द्र भवन के पास, गांधी नगर, मकान नंबर 205, बीकानेर (राज0)
2. भूमि धारक, जरिये तहसीलदार सीकर।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सीकर निर्णय दिनांक 17.02.2020, अपील संख्या 37/2015 उनवानी लक्ष्मण सिंह बनाम सायर कंवर व अन्य, जिसमे तहसीलदार सीकर द्वारा तस्दीक किया गया नामान्तकरण संख्या 605 दिनांक 15.06.2025 ग्राम दुर्गापुरा तहसील व जिला सीकर को बहाल रखा गया।

उपस्थित :–

1. श्री कालूराम नायक, अधिवक्ता अपीलान्ट्स की ओर से उपस्थित।
2. श्री प्रहलाद चौधरी, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से उपस्थित।
3. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक–27.10.2025

1. अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर सीकर के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 28.07.2023 को प्रस्तुत की गई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि हाल अपीलान्ट सलाब कंवर पत्नी स्व0 लक्ष्मण सिंह राठौड वगैरह ने न्यायालय जिला कलक्टर सीकर के समक्ष अपील विरूद्ध तहसीलदार सीकर द्वारा नामांतकरण संख्या 605 ग्राम दुर्गापुरा पटवार हल्का पिपराली तहसील व जिला सीकर तस्दीक दिनांक 15.06.2015 के विरूद्व प्रस्तुत की गयी। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर सीकर ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17.02.2020 द्वारा यह निर्णय पारित किया गया कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 3236 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3237 रकबा 2.14 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3238 रकबा 2.37 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3239 रकबा 1.10 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 5.70 हैक्टेयर तन ग्राम दुर्गापुरा पटवार हल्का पिपराली तहसील व जिला सीकर की भूमियों के सम्बन्ध में अपीलान्ट ने कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया, जिससे यह साबित होता हो कि खातेदार काबिज काश्तकार भंवरकंवर पत्नी पीरूसिंह पुत्री हेमसिंह जाति राजपूत निवासी बगड़ जिला झुन्झुनूं को जरिये बक्शीशनामा फूलकंवर से प्राप्त हुई थी तथा उक्त भूमियां स्व. भंवर कंवर की पैतृक कृषि भूमियां नहीं थी। न्यायालय सहायक कलक्टर चिड़ावा द्वारा मुकदमा नम्बर 84/87 में पारित डिकी व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं मुकदमा नम्बर 570/89 में प्रस्तुत राजीनामा के तथ्य उक्त विवादित आराजीयात भूमियों के सम्बन्ध में नहीं है। अतः तहसीलदार सीकर द्वारा भरा गया नामान्तरकरण संख्या 605 दिनांक 15.06.2015 खातेदार भंवर कंवर की मृत्यु होने के बाद वारिस प्रमाण पत्र नगरपालिका बगड़ के अनुसार वारिसान के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है। जिससे अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सीकर के निर्णय दिनांक 15.06.2015 में कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। अतः अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

3. जिला कलक्टर सीकर के निर्णय दिनांक 17.02.2025 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स सलाब कंवर पत्नी स्व0 लक्ष्मण सिंह वगैरह द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर सीकर के निर्णय दिनांक 17.02.2020 को निरस्त करने तथा तहसीलदार सीकर द्वारा नामांतकरण संख्या 605 ग्राम दुर्गापुरा पटवार हल्का पिपराली तहसील व जिला सीकर द्वारा तस्दीक दिनांक 15.06.2015 को निरस्त फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया गया कि अपीलार्थीगण के पति/पिता स्व. लक्ष्मण सिंह पुत्र श्री माधोसिंह ने एक अपील अतिरिक्त जिला कलेक्टर सीकर के न्यायालय में नामान्तरण संख्या 605 दिनांक 15.06.2015 ग्राम दुर्गापुरा के विरूद्ध प्रस्तुत कर अपील में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 3236 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नंबर 3237 रकबा 2.14 हैक्टेयर, खसरा नंबर 3238 रकबा 2.37 हैक्टेयर, खसरा नंबर 3239 रकबा 1.10 हैक्टेयर, कुल किता 4 कुल रकबा 5.70 हैक्टेयर ग्राम दुर्गापुरा, पटवार हल्का पीपराली, तहसील व जिला सीकर में स्थित हैं, जिसके पूर्व में खातेदार भंवर कंवर पत्नी पीरू सिंह पुत्री हेम सिंह जाति राजपूत निवासी जिला झुन्झुनुं थी। उपरोक्त सम्पत्ति उन्हे जरिये बक्शीशनामा श्रीमती फूल कंवर से प्राप्त हुई थी, इसलिये उक्त भूमि में स्व. भंवर कंवर की पैतृक कृषि भूमिया नहीं थी। उक्त श्रीमती भंवर कंवर ने अपनी मृत्यु से पूर्व अपीलांट लक्ष्मण सिंह, जो भंवर कंवर के देवर माधोसिंह का पुत्र है. के पक्ष में दिनांक 16.11.1985 को एक वसीयतनामा सक्षम गवाहान की उपस्थिति में लेखबद्ध करवाया था, उसमें स्व. भंवर कंवर ने अपनी चल व अचल सम्पत्ति जहां भी अवस्थित है, के बाबत अपीलांट के पक्ष में वसीयत कर दी थी। विवादित कृषि भूमि के अलावा स्व. भंवर कंवर की ग्राम बग्गड में भी खसरा नंबर 1107/1491/1 रकबा 11 बीघा 5 बिस्वा भूमि थी। चूंकि स्वर्गीय भंवर कंवर ने अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्तियों की वसीयत दिनांक 16.11.1985 को कर चुकी थी, रेस्पोंडेन्ट संख्या–1 ने अपनी माता भंवर कंवर की विरासत का नामान्तरण अपने हक में खुलवाने की काफी कुचेष्ठा की, जिस पर अपीलार्थी ने न्यायालय सहायक कलेक्टर चिडावा के समक्ष एक राजस्व वाद 84/87 रेस्पोडेन्ट संख्या–1 के विरुद्ध प्रस्तुत किया, जिसें रेस्पोडेन्ट संख्या–1 ने उक्त न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद में सहमति जाहिर करते हुये अपना जवाब दावा प्रस्तुत किया। जिस पर माननीय न्यायालय सहायक कलेक्टर चिडावा द्वारा उक्त वसीयत को आधार मानकर अपीलार्थी का उक्त वाद लक्ष्मण सिंह बनाम सांयर कंवर डिक्री करते हुये ग्राम बग्गड में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 1107/1491/1 रकबा 11 बीघा 5 बिस्वा का खातेदार काश्तकार घोषित करके अपीलार्थी के पक्ष में डिक्री पारित कर दी। इसके अलावा उपरोक्त वर्णित ग्राम बग्गड की भूमि के संबंध में भी एक दावा संख्या 570/89 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनु के समक्ष श्याम सिंह पुत्र लादू सिंह नामक व्यक्ति ने अपीलांट व रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध उद्घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया, जिसमें भी पक्षकारान ने बाद में दिनांक 25.02.1992 को राजीनामा प्रस्तुत कर उक्त भूमि अपीलांट की मानते हुये अपना दावा खारिज करवा लिया। अपीलार्थी के पिता/पति लक्ष्मण सिंह ने अपील में यह भी कथन अंकित किये कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 को प्रारम्भ से ही इस वसीयत दिनांक 16.11.1985 की जानकारी होते हुये भी विवादित आराजी खसरा नंबर 3236 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नंबर 3237 रकबा 2.14 हैक्टेयर, खसरा नंबर 3238 रकबा 2.37 हैक्टेयर, खसरा नंबर 3239 रकबा 1.10 हैक्टेयर, कुल किता 4 कुल रकबा 5.70 हैक्टेयर, तन ग्राम दुर्गापुरा पटवार हल्का पीपराली तहसील व जिला सीकर का नामान्तरण संख्या 605 तस्दीक करा लिया। उपरोक्त तथ्य अपीलार्थीगण के पति/पिता ने अंकित करते हुये अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर सीकर के समक्ष उपरोक्त नामान्तरण संख्या 605 की अपील प्रस्तुत की, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 17.02.2020 को अपीलार्थीगण के पति/पिता लक्ष्मण सिंह द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज कर दिया। दोनों ही अधिनस्थ न्यायालयो द्वारा पारित किया गया नामान्तरण संबंधी निर्णय न्याय नियम व रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय हैं। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सीकर ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व इस तथ्य पर ध्यान नही दिया कि अपीलार्थीगण के पति/पिता लक्ष्मण सिंह राठौड का दिनांक 08.09.2018 को ही देहान्त हो गया था तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.02.2020 को पारित किया गया हैं, इसलिये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

पारित किया गया अपीलाधीन आदेश एक मृत व्यक्ति के विरूद्ध हैं, जो एक शून्य प्रभावी निर्णय है। विधि का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि किसी भी मृत व्यक्ति के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई निर्णय अथवा आदेश पारित नही किया जा सकता। यदि न्यायालय द्वारा ऐसा कोई निर्णय व आदेश पारित किया जाता है तो शुन्य निर्णय व आदेश की परिधि में आता हैं, इसलिये भी निर्णय निरस्तनीय हैं। अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलेक्टर सीकर ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17.02.2020 पारित करने से पूर्व मृत अपीलार्थी के वारिसो को रिकार्ड पर लेने हेतु कोई कार्यवाही नही की गई, इसलिये भी अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय हैं। अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलेक्टर सीकर ने व तहसीलदार सीकर ने प्रकरण को कतई समझने का प्रयास नही किया। वादग्रस्त भूमि की पूर्व खातेदार भंवर कंवर पत्नी पीरू सिंह ने अपीलार्थीगण के पति/पिता लक्ष्मण सिंह के हक में विधि अनुसार दो स्वतंत्र गवाहो की मौजूदगी में विधिवत वसीयत का निष्पादन किया था, जिसमें उनकी समस्त चल व अचल सम्पत्ति का एकमात्र उत्तराधिकारी लक्ष्मण सिंह को घोषित किया था। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने अपील निरस्त करने में भारी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह अंकित किया है कि अपीलार्थी ने भूमि खसरा नंबर 3236, 3237, 3238, 3239 कुल किता 4 कुल रकबा 5.70 हैक्टेयर ग्राम दुर्गापुरा पटवार हल्का पीपराली, तहसील व जिला सीकर की भूमि के संबंध में अपीलांट ने कोई साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नही किया हैं। अपीलार्थीगण माननीय न्यायालय से कथन करते है कि जब स्व. लक्ष्मण सिंह का देहान्त दिनांक 08.09.2018 को ही हो गया था तो कोई साक्ष्य सबूत प्रस्तुत किये जाने का प्रश्न ही पैदा नही होता। अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त स्थिति को पूर्णतया नजर अंदाज कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सीकर ने अपने आदेश में यह भी अंकित किया है कि जो पूर्व में पक्षकारो के बीच में राजीनामा प्रस्तुत किया गया था, वो अन्य भूमियों के संबंध में था। अपीलार्थीगण माननीय न्यायालय से निवेदन करते है कि यदि उक्त भूमि के संबंध में भी राजीनामा प्रस्तुत होकर तस्दीक हो जाता तो किसी प्रकार का विवाद ही शेष नही रहता। अपीलार्थी का कथन ही यह रहा है कि स्वर्गीय भंवर कंवर ने उसके हक में विधिवत वसीयत निष्पादित की थी, उसके बावजूद उसके हक में तहसीलदार द्वारा नामान्तरण तस्दीक नही कर गलत रूप से सायर कंवर पुत्री पीरू सिंह के हक में निष्पादित किया हैं। इसलिये भी नामान्तरण व अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलेक्टर सीकर का अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय हैं। अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 605 तस्दीक करने से पूर्व तहसीलदार द्वारा भूमि के कब्जे की कोई जांच नही की। हल्का पटवारी से कब्जे के संबंध में कोई रिपोर्ट नही ली गई। वादग्रस्त भूमि पर कब्जा प्रारम्भ से ही स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह का रहा हैं। उपरोक्त तथ्यों को दोनो ही अधीनस्थ न्यायालयो ने नजर अंदाज कर निर्णय पारित किया हैं। दोनो ही अधीनस्थ न्यायालयों ने इस पर ध्यान नही दिया कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 सायर कंवर ने अपीलार्थीगण के पति/पिता लक्ष्मण सिंह के पक्ष में लेखबद्ध वसीयतनामा दिनांक 16.11.1985 व न्यायालय सहायक कलेक्टर चिडावा द्वारा मुकदमा नंबर 84/87 में पारित डिक्री व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनु मुकदमा नंबर 570/89 में प्रस्तुत राजीनामे के तथ्यों को छुपाकर रेस्पोन्डेन्ट संख्या–2 से साज कर नगर पालिका बग्गड के द्वारा जारी वारिसनामा के आधार पर कतई गलत व अवैध रूप से नामान्तरण तस्दीक करवाया था, इसलिये भी अपीलाधीन नामान्तरण व निर्णय निरस्तनीय हैं। दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 सायर कंवर ने जो नामान्तरण संख्या 605 स्वयं के हक में तस्दीक करवाया है वो राजस्व अभियान केम्प पीपराली में केवलमात्र अध्यक्ष नगर पालिका के वारिस प्रमाण पत्र को आधार मानकर बिना मौके व कब्जे का अवलोकन किये ही बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाये ही स्वीकार किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलैक्टर सीकर के समक्ष जब ये तथ्य रिकार्ड पर आ गया था कि भूमि की खातेदार भंवर कंवर ने विधिवत लक्ष्मण सिंह के हक में वसीयत निष्पादित की है तो अति. जिला कलेक्टर सीकर का यह विधिक दायित्व बनता था कि वो प्रकरण तहसीलदार सीकर को प्रतिप्रेषित करते। उपरोक्त स्थिति को भी नजर अंदाज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, इसलिये निर्णय निरस्तनीय हैं।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपीलार्थीगण को अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.02.2020 के बारे में पूर्व में कोई जानकारी नही थी। स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह जो अपीलार्थी संख्या–1 के पति व अपीलार्थी संख्या–2, 3 व 4 के पिता है, जिनका दिनांक 08.09.2018 को देहान्त हो गया था। इसके पश्चात ही के दिनों में उनके कुछ दस्तावेज एक कपडे की पोटली में मिले, उसमें

उपरोक्त अपील के कुछ दस्तावेज थे, उन्ही के आधार पर दिनांक 12.07.2023 को स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह जी के अधिवक्ता से सम्पर्क किया, तो स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह जी के अधिवक्ता ने उक्त प्रकरण के बारे में जानकारी दी कि उक्त अपील दिनांक 17.02.2020 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई हैं। साथ ही उन्होने अपीलार्थीगण से कथन किया कि उन्हे लक्ष्मण सिंह के देहान्त के बारे में कोई जानकारी नही थी, क्योकि लक्ष्मण सिंह जी के मोबाईल नंबर उनसे मिस हो गये थे तथा लम्बे अर्से तक लक्ष्मण सिंह द्वारा सम्पर्क नही होने के कारण उन्होने यह कयास लगाया कि प्रकरण में सम्भवतया राजीनामा हो गया होगा, इसलिये लक्ष्मण सिंह ने उनसे सम्पर्क नही किया। जबकि लक्ष्मण सिंह का वर्ष 2018 में ही देहान्त हो गया था। साथ ही उन्होने यह भी कथन किया कि वो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बहस हेतु भी उपस्थित नही हुये थे, न्यायालय ने पत्रावली देखकर ही निर्णय पारित किया हैं। इसके पश्चात् अपीलार्थीगण ने उपरोक्त निर्णय की जानकारी की व दिनांक 14.07.2023 को नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत किया, जिसकी उन्हे दिनांक 19.07.2023 को नकल प्राप्त हुई तथा उसके पश्चात् जयपुर आकर अधिवक्ता नियुक्त कर बिना किसी देरी के माननीय न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की जा रही हैं। अन्यथा भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एक मृत व्यक्ति के विरूद्ध पारित किया गया है, जो निर्णय की परिधि में ही नही आता हैं तथा उसे निरस्त करने में मियाद अधिनियम बाधा उत्पन्न नही करता हैं। अतः अपील अपीलार्थीगण प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय अति. जिला कलेक्टर सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17.02.2020 को निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें। अन्य कोई अनुतोष जो अपीलार्थीगण के हक में हो, प्रदान किये जावें।

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि उक्त अपील न्यायालय तहसीलदार सीकर एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सीकर के निर्णय दिनाक 17.02.2020 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। जिसमें अपीलार्थी द्वारा तहसीलदार सीकर द्वारा नामान्तकरण संख्या 605 दिनाक 15.06.2015 ग्राम दुर्गापुरा जिला सीकर के आदेश को चुनोती देते हुये पेश की गई है। जिसमें अप्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा नम्बर 3236 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3237 रकबा 2.14 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3238 रकबा 2.37 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 3239 रकबा 1.10 हैक्टेयर कुल किता 04 कुल रकबा 5.70 हैक्टेयर ग्राम दुर्गापुरा पटवार हल्का पिपराली तहसील व जिला सीकर के विरासत के नामान्तकरण के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है जिसमें अप्रार्थी की माता भंवर कवर के नाम से खातेदारी दर्ज थी जो सम्पत्ति भंवर कवंर को जरिये बख्शीश फूल कंवर से प्राप्त हुई थी ऐसी स्थिति में उक्त सम्पत्ति पैतृक सम्पत्ति के रुप में दस्तावेजी साक्ष्य के साथ उपलब्ध है जिसकी अपीलार्थी के नाम सम्पूर्ण की वसीयत किया जाना गैरकानूनी है। उक्त विवादित भूमि फूल कंवर से बख्शीश में भंवर कंवर को प्राप्त हुई जिससे यह साबित होता है। उक्त सम्पत्ति पैतृक सम्पत्ति थी ना कि भंवर कवंर की स्वयं अर्जित सम्पत्ति थी ऐसी स्थिति में तहसीलदार सीकर द्वारा नामान्तकरण संख्या 605 दिनाक 15.06.2015 सम्यक तामिल एवं पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये पारित किया गया जिसमें गलती की कोई आंशका नही है उसी आधार पर न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सीकर द्वारा अपने निर्णय दिनाक 17.02.2020 में कोई भी विधिक गलती नहीं की है जिसको बहाल रखा जाना न्यायहित में आवश्यक है। उनवानी अपील में अपीलार्थी द्वारा वसीयत को आधार मानकर उक्त अपील पेश की है जिसको खारिज किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अपीलाधीन विवादित कृषि भूमि अप्रार्थी की माता श्रीमती भवंर कंवर को बख्शीश में प्राप्त हुई थी इस आधार पर उक्त कृषि स्वयं अर्जीत नही होकर पैतृक सम्पत्ति है जिसकी वसीयत कानूनी रुप से वैद्य नही है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज की जावे तथा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सीकर के आदेश दिनाक 17.02.2020 को यथावत रखा जावें। न्यायालय जिला कलक्टर सीकर के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17.02.2020 विधिक प्रावधानों के अनुसार ही पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

7. हमने प्रकरण के अभिलेखों का अवलोकन कर प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट्स को अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.09.2024 की जानकारी नहीं थी। स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह जो अपीलार्थी संख्या–1 के पति व अपीलार्थी संख्या–2, 3 व 4 के पिता है, जिनका दिनांक 08.09.2018

को देहान्त हो गया था। इसके पश्चात ही के दिनों में उनके कुछ दस्तावेज एक कपडे की पोटली में मिले, उसमें उपरोक्त अपील के कुछ दस्तावेज थे, उन्ही के आधार पर दिनांक 12.07.2023 को स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह जी के अधिवक्ता से सम्पर्क किया, तो स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह जी के अधिवक्ता ने उक्त प्रकरण के बारे में जानकारी दी कि उक्त अपील दिनांक 17.02.2020 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई हैं। इसके पश्चात् अपीलार्थीगण ने उपरोक्त निर्णय की जानकारी की व दिनांक 14.07.2023 को नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत किया, जिसकी उन्हे दिनांक 19.07.2023 को नकल प्राप्त करना अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुये माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के आलोक में प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुये, अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन एवं उभयपक्षों की बहस पर मनन से जाहिर होता है कि प्रकरण में मुख्यतः विवाद भंवर कंवर धर्मपत्नि पीरू सिंह की विरासत को लेकर है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सीकर ने नामान्तरकरण संख्या 605 ग्राम दुर्गापुरा पटवार हल्का पिपराली तहसील व जिला सीकर दिनांक 15.06.2015 द्वारा खातेदार भंवर कंवर की मृत्यु होने के बाद वारिस प्रमाण पत्र नगरपालिका बगड के अनुसार वारिसन के नाम नामान्तरकरण जांच कर भंवर कंवर की पुत्री सायर कंवर पुत्री पीरू सिंह राठौड के नाम दर्ज व स्वीकृत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर सीकर ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17.02.2020 द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन कर पाया गया कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 3236 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3237 रकबा 2.14 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3238 रकबा 2.37 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3239 रकबा 1.10 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 5.70 हैक्टेयर तन ग्राम दुर्गापुरा पटवार हल्का पिपराली तहसील व जिला सीकर की भूमियों के सम्बन्ध में अपीलान्ट ने कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया, जिससे यह साबित होता हो कि खातेदार काबिज काश्तकार भंवरकंवर पत्नी पीरूसिंह पुत्री हेमसिंह जाति राजपूत निवासी बगड़ जिला झुन्झुनूं को जरिये बक्शीशनामा फूलकंवर से प्राप्त हुई थी तथा उक्त भूमियां स्व. भंवर कंवर की पैतृक कृषि भूमियां नहीं थी। न्यायालय सहायक कलक्टर चिड़ावा द्वारा मुकदमा नम्बर 84/87 में पारित डिकी व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं मुकदमा नम्बर 570/89 में प्रस्तुत राजीनामा के तथ्य उक्त विवादित आराजीयात भूमियों के सम्बन्ध में नहीं है। अतः तहसीलदार सीकर द्वारा भरा गया नामान्तरकरण संख्या 605 दिनांक 15.06.2015 खातेदार भंवर कंवर की मृत्यु होने के बाद वारिस प्रमाण पत्र नगरपालिका बगड़ के अनुसार वारिसान के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है। जिससे अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सीकर के निर्णय दिनांक 15.06.2015 में कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होने के कारण अपील अपीलान्ट खारिज की गयी है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर सीकर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17.02.2020 में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर सीकर के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17.02.2020 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपीलार्थी की अपील सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः आदेश है कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर सीकर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17.02.2020 को यथावत रखा जाता है।

(दीप्ति कछवाहा)
अति. संभागीय आयुक्त,
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर
जयपुर

निर्णय दिनांक 27.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अति. संभागीय आयुक्त,
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर
जयपुर